



9449 - ज़कात और सदका के बीच अंतर

प्रश्न

सदका और ज़कात के बीच क्या अंतर है?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

अरबी भाषा में ज़कात का अर्थ है : बढ़ोतरी, लाभ, बरकत और शुद्धि।

देखें : "लिसानुल-अरब" (14/358), "फतहुल-क़दीर" (2/399).

अरबी भाषा में सदका का शब्द "सिद्क़" से लिया गया है ; क्योंकि यह उसके निकालने वाले के अपने ईमान में सच्चा होने का प्रमाण है।

देखें : "फतहुल-क़दीर" (2/399)

जहाँ तक उसके शरई परिभाषा की बात है :

तो ज़कात का मतलब है : शरीयत में बताए गए तरीके के अनुसार अल्लाह के अनिवार्य किए हुए विभिन्न प्रकार की ज़कात को उसके हक़दारों को भुगतान करके अल्लाह सर्वशक्तिमान की उपासना करना।

सदका का मतलब है : शरीयत के द्वारा अनिवार्य किए बिना धन को खर्च करके अल्लाह की उपासना करना। कभी-कभी अनिवार्य ज़कात को भी सदका कहा जाता है।

जहाँ तक ज़कात और सदका के बीच अंतर की बात है, तो वह निम्नलिखित है :

1. इस्लाम ने ज़कात को कुछ विशिष्ट चीज़ों में अनिवार्य किया है, और वे हैं : सोना, चाँदी, फसलें, फल, व्यापार के सामान और पशुधन जो कि ऊँट, गाय और भेड़-बकरी हैं।

रही बात सदका की, तो वह किसी विशिष्ट चीज़ में अनिवार्य नहीं है, बल्कि बिना किसी निर्धारण के इनसान जो भी दान कर

दे।

1. ज़कात के लिए कुछ शर्तें अनिवार्य होती हैं, जैसे कि एक साल का बीतना और धन का निसाब (ज़कात अनिवार्य होने की न्यूनतम सीमा) तक पहुँचना। तथा उसके लिए धन में एक निर्धारित मात्रा है।

रही बात सदका की, तो उसके लिए कोई शर्त अनिवार्य नहीं है। अतः सदका किसी भी समय और किसी भी मात्रा में दिया जा सकता है।

1. ज़कात के बारे में अल्लाह ने यह अनिवार्य किया है कि वह कुछ विशिष्ट वर्गों को दिया जाएगा। इसलिए उसे उनके अलावा को नहीं दिया जा सकता। ज़कात के हकदार लोगों का वर्णन अल्लाह के इस कथन में हुआ है : **إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ** "ज़कात तो केवल फ़कीरों और मस्कीनों के लिए और उसपर नियुक्त कार्यकर्ताओं के लिए तथा उनके लिए है जिनके दिलों को परचाना अभीष्ट हो, और दास मुक्त करने में और कर्ज़दारों एवं तावान भरने वालों में और अल्लाह के मार्ग में तथा यात्रियों के लिए है। यह अल्लाह की ओर से एक दायित्व है और अल्लाह सब कुछ जानने वाला, पूर्ण हिकमत वाला है।" (सूरतुत्-तौबा : 60).

रही बात सदका की, तो उसे ज़कात की आयत में वर्णित लोगों को और उनके अलावा लोगों को भी देना जायज़ है।

1. जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसपर ज़कात देय है, तो उसके वारिसों पर अनिवार्य है कि उसे उसके धन से निकाल दें, और इसे वसीयत लागू करने और वारिसों में विभाजित करने से पहले निकाला जाएगा।

रही बात सदका की, तो इसमें इस तरह की कोई चीज़ अनिवार्य नहीं है।

1. ज़कात रोकने वाले को यातना दी जाएगी, जैसा कि उस हदीस में आया है, जिसे इमाम मुस्लिम ने अपनी सहीह (हदीस संख्या : 987) में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि उन्होंने कहा : अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "जो भी खजाने वाला अपने खज़ाने की ज़कात नहीं देता, तो उसके खज़ाने को नरक की आग में तपाया जाएगा और उनकी प्लेटें बनाकर उनके साथ उस आदमी के दोनों पहलुओं और माथे को तब तक दागा जाएगा जब तक कि अल्लाह अपने बंदों के बीच फैसला नहीं कर देता, एक ऐसे दिन में जिसकी अवधि पचास हजार वर्ष है। फिर उसे जन्नत या जहन्नम की ओर उसका रास्ता दिखा दिया जाएगा। तथा जो भी ऊँटों का मालिक ऐसा है जो उनकी ज़कात नहीं देता है, उसे उन ऊँटों के सामने एक विशाल चटियल मैदान में लिटा दिया जाएगा और वे उसके ऊपर दौड़ेंगे। जब भी उनमें से आखिरी ऊँट गुज़र जाएगा तो उनमें से पहला ऊँट दोबारा लाया जाएगा, यहाँ तक कि अल्लाह अपने बंदों के बीच फैसला कर देगा, उस दिन में जिसकी अवधि

पचास हजार साल के बराबर है, फिर उसे स्वर्ग या नरक की ओर उसका रास्ता दिखा दिया जाएगा। जो भी बकरियों का मालिक उनकी ज़कात नहीं देता, उसे उनके सामने एक विशाल चटियल मैदान में लिटा दिया जाएगा, वे उसे अपने खुरों से रौंदेंगी और अपने सींगों से मारेंगी। उनमें से कोई मुड़े हुए सींगों वाली या बिना सींगों वाली नहीं होगी। जब भी उनमें से आखिरी बकरी गुज़रेगी, तो उनमें से पहली बकरी दोबारा वापस आ जाएगी, यहाँ तक कि अल्लाह अपने बंदों के बीच फैसला कर देगा, एक ऐसे दिन में जिसकी मात्रा तुम्हारी गणना से पचास हजार साल है, फिर उसे जन्नत यहा जहन्नम की ओर उसका रास्ता दिखा दिया जाएगा...”

रही बात सदका की, तो उसको छोड़ने वाले को यातना नहीं दी जाएगी।

1. चार मतों के अनुसार : ज़कात आदमी के उसूल एवं फुरू' को नहीं दी जाएगी। उसूल से अभिप्राय माँ-बाप और दादा-दादी हैं, तथा फुरू' से अभिप्राय बच्चे और उनके बच्चे हैं।

रही बात सदका की, तो उसे फुरू' एवं उसूल दोनों को देना जायज़ है।

1. ज़कात किसी मालदार व्यक्ति या जीविकोपार्जन करने में सक्षम शक्तिशाली व्यक्ति को देना जायज़ नहीं है।

उबैदुल्लाह बिन अदी ने कहा : दो लोगों ने मुझे बताया कि वे हज्जतुल-वदाअ (विदाई हज्ज) के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आए, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ज़कात बाँट रहे थे। उन दोनों ने आपसे उसमें से कुछ माँगा। आपने उन दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा, तो आपने उन्हें मजबूत शरीर वाला और सक्षम पाया। आपने फरमाया : “यदि तुम दोनों चाहो तो मैं तुम्हें कुछ दे दूँगा, परंतु धनवान या कमाने में समर्थ बलवान के लिए इसमें कोई हिस्सा नहीं है।” इसे अबू दाऊद (हदीस संख्या : 1633) और नसई (हदीस संख्या : 2598) ने रिवायत किया है, तथा इमाम अहमद और अन्य ने इसे सहीह कहा है।

देखें : “तलखीस अल-हबीर” (3/108).

रही बात सदका कि, तो उसे मालदार और कमाने में सक्षम ताक़तवर आदमी को दिया जा सकता है।

1. ज़कात के मामले में बेहतर यह है कि उसे देश के मालदारों से लिया जाए और उनके गरीबों को दिया जाए। बल्कि बहुत-से विद्वानों का मानना है कि सार्वजनिक हित के अलावा इसे किसी अन्य देश में स्थानांतरित करना जायज़ नहीं है।

जहाँ तक सदका की बात है, तो इसे निकट और दूर के सभी लोगों पर खर्च किया जा सकता है।

1. ज़कात कुफ़्रार और मुशरिकीन को देना जायज़ नहीं है।



जहाँ तक सदका का संबंध है, तो उसे कुफ़र और मुशरिकीन को देना जायज़ है। जैसाकि अल्लाह का फरमान है : **وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا** "और वे मिस्कीनों (गरीबों), अनाथों और बंदियों (कैदियों) को भोजन देते हैं, उसके प्रति अपने प्रेम के बावजूद।" [सूरतुल-इनसान : 8]

कुर्तुबी ने कहा : दारुल-इस्लाम (मुस्लिम भूमि) में बंदी केवल एक मुशरिक हो सकता है।

1. एक मुसलमान के लिए अपनी पत्नी को ज़कात देना जायज़ नहीं है। इब्नुल-मुज़िर ने इसपर सर्वसम्मति का उल्लेख किया है।

जहाँ तक सदका की बात है, तो इसे पत्नी को देना जायज़ है।

ये ज़कात और सदका के बीच कुछ अंतर हैं।

सदका का शब्द सभी प्रकार के अच्छे कार्यों पर भी बोला जाता है। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने अपनी सहीह में कहा : "अध्याय : हर अच्छा काम सदका है।" फिर उन्होंने अपनी सनद (संचरण की श्रृंखला) के साथ जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "हर अच्छा काम सदका है।"

इब्ने बत्ताल ने कहा : "यह हदीस इंगित करती है कि एक व्यक्ति जो भी अच्छा काम करता है या कहता है वह उसके लिए सदका के रूप में दर्ज किया जाता है।"

इमाम नववी ने कहा : "नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के शब्द "हर अच्छा काम सदका है।" का अर्थ यह है कि वह पुण्य (प्रतिफल) में सदका की तरह है।"

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।